न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 169 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 20.08.2015

जेती पुत्री बरदा उर्फ बरजा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. भुवाना बरदा उर्फ बरजा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 49/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015

उपस्थित– 1. चन्द्रशेखर जोशी –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्यामलाल दायमा –रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 1308/2, 1309, 1310, 1316, कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर व मौजा पुठोली तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 1402/1, 1408 कुल किता 2 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आजोलिया का खेडा की कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के पिता बरदा के नाम पर सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज थी जिसके साबिक आराजी नम्बर 600 व 602 थे। इसी प्रकार वादपत्र मे मौजा पुठोली की कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट के पिता बरदा के नाम भू-प्रबन्ध से पूर्व साबिक आराजी नम्बर 945/1 व 993/1 थे जिससे उक्त आराजीयात अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट की पैतृक कृषि आराजीयात है। अपीलान्ट वादिया के पिता बरदा पिता सवाईराम जाट के जायन्दा संतान मे दो पुत्र व एक पुत्री अपीलान्ट वादिया है। अपीलान्ट की माता प्यारी का देहान्त हो चुका है तथा बरदा के जेष्ठ पुत्र परथु जयराम पिता सवाईराम के गोद चले गये। अपीलान्ट के पिता बरदा उर्फ बरजा का देहान्त के पश्चात् उनकी विरासत की कार्यवाही करते उक्त अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट सं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1 से मिलीभगती कर विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 अकेले के नाम पर स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट वादिया स्वर्गीय बरदा उर्फ बरजा की जायन्दा पुत्री होते हुए भी अपीलान्ट वादिया का नामान्तकरण दर्ज नही किया। अपने पिता की कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादिया का 1/2 हिस्सा होना चाहिये जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 की मिलीभगती से दर्ज नही हो सका किन्तु अपीलान्ट वादिया स्वर्गीय बरदा की कृषि आराजीयात मे विरासत के आधार पर 1/2 हक की वैधानिक अधिकारिणी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वर्गीय बरदा की प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे अपीलान्ट वादिया बरदा की कृषि आराजीयात मे 1/2 हक से खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारिणी है। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम दर्ज है। जिसमे वादिया की जानकारी के बाहर अपने नाम दर्ज करा लिया और अपीलान्ट को अपनी कृषि आराजीयात मे से अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया। और अपीलान्ट को अपना हिस्सा नही दिया जिससे उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट वादिया का 1/2 हक हिस्सा निहित है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात को अपीलान्ट के निहित 1/2 हिस्से सहित अन्य दिगर व्यक्तियो को रहन बह बक्षीस व खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है और अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण अपीलान्ट वादिया के कब्जे काश्त मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 दखलदांजी करता रहता है तथा विवादित कृषि आराजीयात को रहन बह बक्षीस के जरिये हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा अपीलान्ट को धमकी देता है कि तुम्हारा नाम दर्ज नही है इसलिये मै सारी जमीन बेच दूंगा। जिससे रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र वाद कारण दिनांक 12.03.2013 को उत्पन्न होना बताते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 दिनांक 15.05.2013 को उपस्थित हुए। अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रकरण वास्ते तनकियात कायमी नियत था। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत कैम्प पुठोली मे पत्रावली नियत की गई। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 कैम्प कोर्ट मे उपस्थित हुए व अपनी ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया ने जिन आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त आराजीयात मे अधिकतर आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की खरीदशुदा आराजीयात है। अपीलान्ट वादिया ने प्रकरण मे परथु को पक्षकार कायम नही किया है। अपीलान्ट वादिया शादीशुदा महिला है जिसका लाडपुरा ससुराल होकर अपनी पति की विरासत प्राप्त कर चुकी है जिससे अपीलान्ट वादिया को पैतृक अधिकार की घोषणा कराने की अधिकारिणी नही है। विवादित कृषि आराजीयात का रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी खातेदार व कब्जेदार है। अपीलान्ट वादिया का विवादित कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है। स्वअर्जित सम्पत्ति मे वादिया को वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है जिससे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि विरूद्ध होने से आदेश 7 नियम 11 के तहत वादिया का वादपत्र विधि से वर्जित होकर आवश्यक पक्षकार के अभाव मे चलने योग्य नही होने से निरस्त योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधि से वर्जित होना मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे दिनांक 20.08.2015 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी हेतु विचाराधीन थी। पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की जाकर रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलान्ट वादिया को जवाब का अवसर प्रदान किये बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधिवर्जित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादिया का वादपत्र निरस्त किया है जो लोक अदालत के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त वादपत्र का प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा दिया गया। जवाबदावे मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया गया। यह निवेदन किया गया कि विवादित कृषि आराजीयात मे अधिकतर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की स्वअर्जित है। अपीलान्ट विवाहिता होकर अपने ससुराल मे अपने पति के साथ निवासरत है। अपने पति की जायदाद मे विरासत प्राप्त कर चुकी है। विवादित कृषि आराजरीयात पर अपीलान्ट वादिया का कभी कब्जा नही रहा है जिससे वादिया बिना कब्जे के घोषणा कराये जाने की अधिकारिणी नही है। जवाबदावे मे उठाये गये तथ्यो को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के तहत प्रार्थना पत्र मे प्राथमिक आपत्ति के रूप मे प्रस्तुत किये। उक्त प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण करने के लिये किसी मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नही रहती है। अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित कृषि आराजीयात बरदा व बरदा के सवाईराम की रही हो जिससे उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार बनता हो। वादिया स्वंय ने अपने वादपत्र मे सजरा प्रस्तुत किया है जिसमे परथु को अपना भाई होना बताया है। फिर भी परथु को वादपत्र मे पक्षकार मुकदमा कायम नही किया है जो कि प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार मुकदमा था। जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित है। अपीलान्ट वादिया ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बिलाड़ा (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात मे घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा दिनांक 07.06.2013 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत मे अपरिपक्व पत्रावली जिसमे प्रतिवादी सं. 1 का जवाबदावा प्रस्तुत था व प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपत्तियां जवाबदावे मे ली गई थी फिर भी बिना किसी आधार के लोक अदालत के तहत तनकियात मे नियत पत्रावली को लोक अदालत मे नियत कर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का लिया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधि विरूद्ध होना मानते हुए व यह मानते हुए कि वादिया को अपने पति की विरासत प्राप्त हो गई व वादपत्र मे वरदा के पुत्र परथु को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जिससे आवश्यक पक्षकार के अभाव मे वादपत्र खारीज किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी मे पोषनीय नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपरिपक्व वादपत्र जो तनकियात हेतु नियत था। बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का आवेदन लिया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट वादिया को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय व आदेश न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 49/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 06.05.2015 को कायमी तनकियात हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली मे उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना कर अजरसे तनकीवार नव निर्णय पारित करे। मूलवाद के निस्तारण तक विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। उक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़